

18 अप्रैल 1987

सं० एल० जी० 1-046/83-लेज०-224-बिहार विधान-मंडल द्वारा यथापरित्त और राज्यपाल द्वारा 14 अप्रैल, 1987 को अनुमत बिहार सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1985 का निम्नलिखित अंगूजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंगूजी भाषा में प्रायिकृत पाठ समझा जायगा :-

1987-20
20
20



57

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 चैत्र 1909 (श०)

[सं० पटना 163]

पटना, शनिवार, 18 अप्रैल 1987

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

18 अप्रैल 1987

सं० एल० जी० 1-046/83-लेज०-223-बिहार विधान-मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 14 अप्रैल, 1987 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-